मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–693/2022 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 के सम्बन्ध में।

उक्त विषयगत प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.10.2022 द्वारा प्रकरण पर निम्नानुसार संयुक्त जांच समीति का गठन किया गया।

1. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

उक्त के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा–183–636/2022/1291 दिनांक 09.11.2022 द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को संयुक्त जांच समीति के सदस्य के रूप में नामित किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंहनगर को सदस्य नामित किये जाने का अनुरोध किया गया(संलग्नक–1)।

इसी कम में जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंहनगर द्वारा अपने आदेश पत्र संख्या–2404/न्या0अनु0–(7)/विविध/(30/2)/2021–22 दिनांक 02.12.2022 के द्वारा निम्नानुसार अधिकारियों को संयुक्त जांच समीति के सदस्य के रूप में नामित किया गया (संलग्नक–2)।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
2. उप जिलाधिकारी, काशीपुर, उधमसिंहनगर।

उक्त जाचं समीति द्वारा द्वारा दिनांक 02.02.2023 को पशु फार्म तथा सम्बन्धित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

1. निरीक्षण में पाया गया कि श्री भूकन पाल उर्फ राजेश पाल द्वारा अपने निवास के भूतल पर, जो कि लगभग 10 फिट चौड़ा तथा 30 फिट लम्बा है, में दो पार्टेशनों पर भैंसे पाली जाती है, जो कि काशीपुर की खालसा गली में नगरीय क्षेत्र की घनी आबादी में स्थित हैं। निरीक्षण के समय मात्र दो भैंसे स्थल पर थी, शेष भैंसे पालक द्वारा चारे हेतु स्थल से बाहर ले जायी गयी थी। निरीक्षण के दौरान श्री राजेश पाल की पत्नि श्रीमती सुनीता उपस्थित थी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पास इसके अतिरिक्त 3 भैंसे और हैं, जबकि शिकायतकर्ता श्री काशिफ अली द्वारा अगवत कराया गया कि समय–समय पर यह संख्या 7 तक हो जाती है।
2. निरीक्षण के समय पाया गया कि भैंस पालक द्वारा गोबर, आदि की सफाई तथा इसके निस्तारण हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है एवं गोबर आदि को उनके द्वारा सीधे नाले में बहा दिया जाता है, जो कि आवासों के आगे से होकर गुजरता है।
3. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भैंस पालन के स्थान पर एक द्वार आगे की ओर है तथा इसके अतिरिक्त वैन्टीलेशन हेतु कोई अन्य व्यवस्था नहीं है।
4. निरीक्षण के दौरान भैंस पालक की पत्नि श्रीमती सुनीता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अपने उक्त डैयरी को अन्य स्थान में स्थानान्तरित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा एक पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमे उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका एक मकान अन्य स्थान पर बन रहा है, जिसमें लिंटर आदि का कार्य पूर्ण हो गया है। उनके द्वारा शीघ्र ही पशुओं को नये मकान में शिफ्ट कर दिया जायेगा। उनके द्वारा उक्त हेतु 20–25 दिनों के समय की मांग की गयी है (संलग्नक–3)।

5. उक्त डैयरी नगरीय क्षेत्र की घनी आबादी क्षेत्र में स्थापित/संचालित है, जिसमें मात्र 5–6 फिट चौड़ी, सकरी गलियां हैं एवं उक्त स्थान पर भैंस पालन किया जाना उचित नहीं है।

उक्त परिस्थितियों में जबकि भैंस पालक द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा अपने अन्य निर्माणाधीन निवास स्थल पर निर्माण पूर्ण हो जाने पर, इसे अन्य नये स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा, यह उचित होगा कि भैंस पालन हेतु समुचित स्थान न होने के कारण, अपशिष्ट के समुचित निस्तारण व्यवस्था न होने के कारण, घनी आबादी तथा संकरी गली एवं स्थल पर पर्याप्त वैन्टीलेशन न होने के कारण, उक्त स्थापना को उक्त स्थान से अन्यंत्र स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के निर्देश दिये जाने उचित होंगे।

(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
काशीपुर।

(अभय प्रताप सिंह)
उपजिलाधिकारी,
काशीपुर, उधमसिंहनगर।

(विवेक राय)
मुख्य नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर।

UTTARAKHAND
UEPPCB

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Chamunda Complex, Ramnagar Road, Kashipur, (U.S.Nagar)- 244713
चामुण्डा कॉम्पलैक्स, रामनगर रोड़,काशीपुर,(उधमसिंहनगर)–244713

पत्रांक– यू.के.पी.सी.बी./आर.ओ.के./रिट- 81/2023/809 दिनांक 15/2/23

प्रतिलिपि–

1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अग्रेतर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. श्री भूकन पाल उर्फ राजेश पाल, निवासी खालसा स्ट्रीट, चर्च के पास, काशीपुर उधमसिंहनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री काशिफ अली पुत्र श्री साजिद अली, निवासी खालसा स्ट्रीट, काशीपुर उधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

15/2/23
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

संलग्नक - 1

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) E-Mail:- msukpcb@yahoo.com

पत्रांकःयूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0- 183-636/2022/1291, दिनांक 09.11.2022

पंजीकृत डाक/ई-मेल द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर/समयबद्ध

डायरी सं0 2266
दिनांक 15/11/22

सेवा में,

जिलाधिकारी
ऊधमसिंहनगर। ई-मेलः- dm-usn-ua@nic.in

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-693/2022 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-693/ 2022 कशिफ अली बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 का अवलोकन करना चाहें। प्रकरण खालसा स्ट्रीट, काशीपुर में आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मवेशी फार्म के संचालन एवं गोबर को नालें में विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण में वस्तुस्थिति हेतु निम्नानुसार विभागों के प्रतिनिधियों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है:-

1. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। प्रकरण पर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कार्यवाही सहित एक माह के अन्तर्गत Factual Action Taken Report मा0 एन0जी0टी0 में दाखित की जानी है। प्रकरण पर अगली सुनवाई दिनांक 22.02.2023 को नियत है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

विषयगत प्रकरण में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामुण्डा काम्पलेक्स, रामनगर रोड़, काशीपुर (मो0नं0-9412130888 ई-मेल-rokueppcb2018@gmail.com) को नामित किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयगत प्रकरण में संयुक्त कमेटी का सदस्य नामित करने का कष्ट करें ताकि स-समय निरीक्षण कर Factual Action Taken Report मा0 एन0जी0टी0 में दाखित की जा सके।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश एवं वादी द्वारा दाखिल आवेदन की प्रति आपके अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता/यूनिट हैड-कुमांऊ, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को सम्बन्धित विभाग से आवश्यक समन्वय कर मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार निरीक्षण कर Factual Action Taken Report इस कार्यालय को स-समय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

DEO

संलग्नक-2

5आदेश

सदस्य सचिव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0–यूकेपीसीबी / एच0ओ0 / सा0–183–636 / 2022 / 1219 दिनांक 09.11.2022 का से अवगत कराया गया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–639 / 2022 काशिफ अली बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 का अनुपालन किया जाना है। प्रकरण खालसा स्ट्रीट, काशीपुर में आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मवेशी फार्म के संचालन एवं गोबर को नालें में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण में वस्तुस्थिति एवं नियामानुसार उपचारात्मक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार विभागों के प्रतिनिधियों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है:–

01–उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

02–जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं अनुपाल हेतु नोडल एंजेसी नामित किया गया है। प्रकरण पर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कार्यवाही सहित एक माह के अन्तर्गत Factual Report मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी है। **प्रकरण पर अगली सुवाई दिनांक 22.02.2023 को नियत है।**

प्रकरण में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामुण्ड काम्लेक्स, रामनगर रोड, काशीपुर को नामित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रकरण में संयुक्त कमेटी का सदस्य नामित करने का अनुरोध किया गया है ताकि स–समय निरीक्षण कर Factual & Taken Report मा0 एन0जी0टी0 में दाखित की जा सके।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 का अनुपालन किये जाने हेतु निम्नानुसार संयुक्त समिति के सदस्य नामित किये जाते है:–

01– नगर आयुक्त नगर निगम काशीपुर।

02– उपजिलाधिकारी काशीपुर।

अतः उपरोक्तानुसार नामित सदस्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 का अनुपालन किया सुनिश्चित करे।

दिनांक–26.11.2022

ह0 / –
(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।

Email id: dmusn.1995@gmail.com फोन नं0–05944–242344 / फैक्स नं0–05944–250408

पत्र संख्या–2404 / न्या0अनु0–(7) / विविध / (30 / 2) / 2021–22 दिनांक 02 दिसम्बर,2022

प्रतिलिपिः–

01–सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

02–नगर आयुक्त नगर निगम काशीपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

03–उपजिलाधिकारी काशीपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

04–क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामुण्ड काम्लेक्स, रामनगर रोड, काशीपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

संलग्नक-3

डायरी नं० 3185
दिनांक 15/12/23
पत्रावली सं० दि२

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
उ०ख० काशीपुर

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है। कि मेरा नाम सुनीता पत्नी / राजेश निवासी मौ० खालसा चर्च के पास हमारे यहाँ तीन भैंस दो बच्चे आदि है। जिनका रोजगार किया जाता है। जिससे हमारे घर आदि का खर्चा होता है / तथा हमारा मकान दूसरा स्थान मौ० कटोराताल काशीपुर आदि में कार्य प्रगति पर है। जिसमें लिंटर आदि का कार्य हो चुका है। जिसमें हमें 20-25 दिन का समय देने की कृपा करे कार्य समाप्त होने के बाद पशुओं मौ० कटोराताल के स्थान पर स्थापित कर दिया जाएगा

सुनीता

धन्यवाद

नाम - सुनीता
पत्नी / राजेश
पता - मौ० खालसा
चर्च के पास
काशीपुर
मोबाइल नं० - 6399387305